सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 181/2013

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. लादी पत्नि स्व. जेठू
2. गुलाबचन्द पुत्र स्व. जेठू
3. कैलाश पुत्र स्व. जेठू
4. दयालचन्द पुत्र स्व. जेठू

समस्त जाति खटीक निवासीगण तसवारिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

वादीगण

बनाम

5. बाबूलाल पुत्र स्व. जेठू
6. रामदेव पुत्र स्व. जेठू

समस्त जाति खटीक निवासीगण तसवारिया तह. केकडी जिला अजमेर राज.

7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार (भू–अभिलेख) केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

8. मिश्री पुत्री स्व. जेठू
9. गोकली पुत्री स्व. जेठू
10. सीता पुत्री स्व. जेठू

समस्त जाति खटीक निवासीगण तसवारिया तह. केकडी जिला अजमेर राज.

प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–30.05.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सलारी में पेश हुई। वादी उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम तसवारिया तहसील केकडी जिला अजमेर के जमाबन्दी स. 2067–70 के खाता स. 103 खसरा नम्बर 595, खाता स. 335 खसरा नम्बर 596, 616, 617, खाता स. 334 खसरा नम्बर 780, 781, 783, 784, 971 779, खाता स. 336 खसरा नम्बर 774, 775 में दर्ज भूमि में वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण 4,5,6 संयुक्त खातेदार काश्तकार है व राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण 4,5,6 का प्रत्येक का 1/9 हिस्सा है व हिस्से अनुसार मौके पर काश्त कर पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे है व आराजीयात संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादीगण 1 व 2 की नियत बद है और वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को उनके हिस्से अनुसार काश्त करने में बाधा पंहुचाते है व मना करने पर लडाई–झगडा करने पर आमादा है। खसरा नम्बर 616 व 783 से वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को उक्त चाह से सिंचित नही करने देते है व अपने ओसरे के बिना ही चाह से आराजीयात को सिंचित करते रहते है जिससे वादीगण को अपने हिस्से की आराजीयात को उक्त चाह से सिंचित करने में कठिनाई होती है जिसके कारण वादीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामसिंह राठौड ने पावर पेश किया। प्रफोर्मा प्रतिवादीगण 4 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा ने पावर पेश किया। पेरोकार सरकार की टिप्पणी पेश हुई जिसके अनुसार प्रकरण में राजहित प्रभावति नही होता है। प्रतिवादी 1 व 2 का जवाब दावा पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया जिसके अनुसार प्रस्तुत जवाब अनुसार वाद का पेरा संख्या 1 व 2 स्वीकार है जबकि पेरा संख्या इस हद तक स्वीकार है कि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा है लेकिन वास्तव में प्रफोर्मा प्रतिवादीगण 4, 5, 6 वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2 की विवाहित बहिने होकर अपने–अपने ससुराल में निवास कर रही है, मौके पर उनका कब्जा काश्त नही है।

हमने पत्रावली व दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वाद का संतुलन वादीगण के पक्ष में है तथा वादीगण का वाद प्रेमाफेसाई केस होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा वाके ग्राम वाके ग्राम तसवारिया तहसील केकडी जिला अजमेर के जमाबन्दी स. 2067–70 के खाता स. 103 खसरा नम्बर 595, खाता स. 335 खसरा नम्बर 596, 616, 617, खाता स. 334 खसरा नम्बर 780, 781, 783, 784, 971 779, खाता स. 336 खसरा नम्बर 774, 775 में दर्ज भूमि का मुताबिक रिकॉर्ड व मौके अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर वादीगण का दावा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक रिकॉर्ड व मौके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी